कार्यालय, अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

टैगोर छात्रावास, श्यामला हिल्स, भोपाल–462002

क्रमांक–शैक्ष./04/जी/2020/386 भोपाल, दिनांक :–09/06/2020

प्रति

अध्यक्ष/सचिव/संचालक/प्राचार्य,
समस्त तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थायें,
(बीई/एमबीए/एमसीए/फार्मेसी (बी/डी)/बी.आर्क/बीएचएमसीटी/एम.ई. व एम.टेक./एम. फार्मेसी/इंटीग्रेटेड एमबीए एवं एमसीए/एम.आर्क/फार्मडी/समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रम आदि), मध्यप्रदेश।

विषय :– सत्र 2020–21 हेतु एआईसीटीई द्वारा जारी पाठ्यक्रमों की निरंतरता (EOA) प्रवेश क्षमता में वृद्धि, नवीन पाठ्यक्रमों की स्वीकृति एवं विश्वविद्यालय की संबद्धता, एनआरआई सीटों इत्यादि की जानकारी पोर्टल पर ऑन लाईन अद्यतन करने विषयक।

–000–

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE), नई दिल्ली द्वारा सत्र 2020–21 हेतु पाठ्यक्रमों की निरंतरता (EOA), प्रवेश क्षमता में वृद्धि, नवीन पाठ्यक्रमों की स्वीकृति, नवीन संस्थाओं की स्वीकृति इत्यादि उपलब्ध करायी जा रही है।

ज्ञात हो कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE), नई दिल्ली द्वारा सत्र 2020–21 के लिये काउंसलिंग/प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया 31 अगस्त, 2020 तक संपादित की जानी है। अतः एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप अपनी संस्था को काउंसलिंग प्रकिया में शामिल करना चाहते हैं, तो काउंसलिंग की वेवसाईट **dte.mponline.gov.in** पर **दिनांक 15 जून 2020 से 22 जून तक** निम्नानुसार कार्यवाही संपादित करें:–

स.क.	संस्था	कार्यवाही
1	सत्र 2019–2020 में काउंसलिंग में भाग लेने वाली एक्टिव (Active) संस्थाओं के लिये।	आपकी संस्था के जी2जी लॉगिन पर ऑनलाईन सहमति पत्र के फार्मेट में चाही गई सभी प्रविष्ठियां सावधानी पूर्वक भरें और चाहें गये पत्रों की स्वच्छ प्रति अपलोड कर लॉक करें।
2	सत्र 2019–2020 या इसके पूर्व के सत्रों में काउंसलिंग शामिल नहीं होने वाली इनएक्टिव (Inactive) संस्थाओं के लिये।	ऐसी संस्थाओं को अपना जी2जी लॉगिन एक्टिव (Active) करवाने के लिये वेवसाईट पर उपलब्ध **क्विक लिंक्स** में **Apply for G2G Login** लिंक पर जाकर चाही गई जानकारियां पूर्ण करनी होगीं एवं चाहें गये पत्रों की स्वच्छ प्रति अपलोड कर लॉक करना होगा। काउसंलिंग कार्यालय के ऑनलाईन अनुमोदन के उपरान्त स.क. 1 के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करना होगी।
3	सत्र 2020–2021 में प्रथम बार AICTE से Letter of Approval प्राप्त करने वाली नई संस्थाओं/पाठ्यक्रम के लिये।	नई संस्थाओं के लिये जी2जी लॉगिन प्राप्त करने के लिये वेवसाईट पर उपलब्ध **क्विक लिंक्स** में **Apply for G2G Login** लिंक पर जाकर चाही गई जानकारियां पूर्ण करनी होगीं एवं चाहें गये पत्रों की स्वच्छ प्रति अपलोड कर लॉक करना होगा। काउसंलिंग कार्यालय के ऑनलाईन अनुमोदन के उपरान्त स.क. 1 के अनुसार कार्यवाही पूर्ण करना होगी।

अपलोड करने वाले दस्तावेज

1. ₹ 500/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर संलग्न बंधपत्र, सत्र 2019–2020 में काउंसलिंग में भाग लेने वाली एक्टिव (Active) संस्थाओं के लिये। (शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त/स्ववित्तीय संस्थाओं हेतु लागू नहीं)।

2. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE), नई दिल्ली द्वारा सत्र 2020–21 के लिये विद्यमान संस्थाओं हेतु जारी पाठ्यक्रमों की निरंतरता (EOA), प्रवेश क्षमता में वृद्धि, नवीन पाठ्यक्रमों की स्वीकृति, नवीन संस्थाओं की स्वीकृति पत्र (LOA), एएफआरसी का फीस निर्धारण संबंधी आदेश।
3. फार्मेसी पाठ्यक्रम की दशा में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (PCI), नई दिल्ली की मान्यता संबंधी पत्र की प्रति प्रस्तुत करें अन्यथा फॉर्मेसी काउंसलिंग ऑफ इण्डिया (PCI), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 14–56/2007–पीसीआई–6290–7191 दिनांक 19–06–2012 के अनुसार कार्यवाही संपादित की जाएगी।
4. आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम की दशा में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर (COA) द्वारा मान्यता दिये जाने संबंधी पत्र की प्रति।
5. नवीन संस्था/पाठ्यक्रम स्वीकृति की दशा में विश्वविद्यालय की सम्बद्धता संबंधी पत्र, एएफआरसी का फीस निर्धारण संबंधी आदेश तथा संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश को प्रस्तुत बंधपत्र (₹ 500/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर)।
6. वर्ष 2020–21 के लिये विश्वविद्यालय की प्रवेश क्षमता के साथ सम्बद्धता अथवा विगत वर्ष की विश्वविद्यालय की प्रवेश क्षमता की सम्बद्धता के साथ–साथ वर्तमान सत्र की सम्बद्धता के लिये विश्वविद्यालय में जमा की गई फीस की रसीद।
7. संस्था में अध्यनरत विद्यार्थियों के मूल दस्तावेजों के संबंध में संलग्न प्रपत्र अनुसार प्रमाण पत्र।
8. संस्थागत प्राथमिकता सीटों **(IPS Seats)** पर प्रवेश के लिये सहमति हेतु पाठ्यक्रम वार (बी.ई. /बी.फार्मेसी/डिप्लोमा फार्मेसी/बी. आर्केटेक्चर एवं पीपीटी डिप्लोमा पाठ्यक्रम) शपथ पत्र ₹ 500/–के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर, देना होगा।

नोटः–

1. निजी क्षेत्र की ऐसी संस्थायें जिन्हें, (बी.ई./बी.फार्मेसी/डिप्लोमा फार्मेसी/बी. आर्केटेक्चर एवं पीपीटी डिप्लोमा पाठ्यक्रम) के लिये निरंतरता (EOA) या (LOA), में संस्थागत प्राथमिकता सीटों **(IPS Seats)** पर अनुमति मिली है, और यदि वे इन सीटों पर प्रवेश की इच्छुक हैं तो उन्हें इन सीटों पर प्रवेश के लिये पाठ्यक्रम वार प्रोसेसिंग शुल्क (रुपये 20100/– पोर्टल शुल्क रुपये 100/– सहित) देय होगा, उक्त समस्त शुल्क वापसी योग्य नहीं **(Non-Refundable)** होगा। पोर्टल से प्राप्त भुगतान की रसीद अपलोड करनी होगी।
2. नोटः सभी प्रविष्ठियां ऑनलाईन पूर्ण एवं लॉक कर प्रिन्टआउट प्राप्त करें व सभी आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न कर हस्ताक्षर उपरान्त **अध्यक्ष काउंसलिंग समिति, टैगौर छात्रावास, शामला हिल्स, भोपाल, 462002** पर **स्पीड पोस्ट** द्वारा आवश्यक रुप से भेजें। भविष्य में, **कार्यालय काउंसलिंग** द्वारा मांगे जाने पर दस्तावेजों की मूलप्रति, उक्त हस्ताक्षरित फार्मेट के साथ भी उपलब्ध करवानी होगी।

ऑनलाईन जानकारी प्रस्तुत नही करने के अभाव में संस्था/पाठ्यक्रम को काउंसलिंग में सम्मिलित करना संभव नहीं होगा।

सही/–
संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्रमांक–शैक्ष./04/जी/2020/387 भोपाल, दिनांक :–09/06/2020

प्रतिलिपि :–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एमपीऑनलाईन लिमिटेड, कॉर्पोरेट कार्यालय, चौथा माला, डी.बी. माल, भोपाल को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश